"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छ. ग./दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 15] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 15 अप्रैल 2011— चैत्र 25, शक 1933

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, पन्नालाल साहू आत्मज श्री कल्लूराम साहू, उम्र 40 वर्ष, निवासी-क्वार्टर नं. 23-बी, सड़क नं.-4, सेक्टर-2, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मैं मेरे पुत्र डोमेन्द्र कुमार साहू जिसका जन्म दिनांक 29-11-1999 है का नाम परिवर्तित कर प्रशस्त साहू रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब से मेरे पुत्र को प्रशस्त साहू आत्मज श्री पन्नालाल साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	नया नाम
डोमेन्द्र कुमार साहू आत्मज-श्री पन्नालाल साहू निवासी-क्वा. नं. - 23 बी, सड़क नं. 4, सेक्टर-2-भिलाई तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	प्रशस्त साहू आत्मज-श्री पन्नालाल साहू निवासी-क्वा. नं. - 23 बी, सड़क नं. 4, सेक्टर-2-भिलाई तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अशोक रोहिदास भावे आत्मज स्व. रोहिदास उमरे, उम्र 51 वर्ष, निवासी-क्वार्टर नं. 6-ए, सड़क नं.-76, सेक्टर-6, भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र के ओ. एच. पी. विभाग में सीनियर आपरेटर के पद पर सेवारत हूं. यह कि मेरी विभागीय सेवा पुस्तिका में मेरी पत्नी का नाम श्रीमती ज्योत्सना अशोक उमरे दर्ज हो गया है. मैं अपनी पत्नी का उपनाम उमरे को परिवर्तित कर भावे रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब से मेरी पत्नी को श्रीमती ज्योत्सना अशोक भावे पति श्री अशोक रोहिदास भावे के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	नया नाम
श्रीमती ज्योत्सना अशोक उमरे पति-श्री अशोक रोहिदास भावे निवासी-क्वा. नं. - 6 ए, सड़क नं. 76, सेक्टर-6, भिलाई नगर तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	श्रीमती ज्योत्सना अशोक भावे पति-श्री अशोक रोहिदास भावे निवासी-क्वा. नं. - 6 ए, सड़क नं. 76, सेक्टर-6, भिलाई नगर तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सतनाम सिंह आत्मज श्री कुलवन्त सिंह, निवासी-ई-पाकेर्ट 27/बी, मरोदा सेक्टर, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. मैं अपने नाम के साथ उपनाम जौहल को जोड़कर सतनाम सिंह जौहल रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब से मुझे सतनाम सिंह जौहाल आत्मज श्री कुलवन्त सिंह के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	नया नाम
सतनाम सिंह आत्मज-श्री कुलवन्त सिंह निवासी-ई-पाकेट 27/बी, मरोदा सेक्टर, भिलाई तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	सतनाम सिंह जौहल आत्मज-श्री कुलवन्त सिंह निवासी-ई-पाकेट 27/बी, मरोदा सेक्टर, भिलाई तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अशोक कुमार ठाकुर आत्मज श्री नूतन साय, उम्र 38 वर्ष, स्थायी निवासी-ग्राम पो.-बलौदा तहसील सराईपाली, जिला महासमुन्द (छ. ग.) हाल निवासी मकान नं. एच-3, पी. डब्ल्यू. डी. कालोनी, जज बंगला के पीछे, सिविल लाईन, रायपुर (छ. ग.) का हूं. मैं अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण मंडल रायपुर में सहायक ग्रेड 3 के पद कार्यरत हूं. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक एवं शासकीय तथा अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम अशोक कुमार भोई दर्ज हो गया है. "भोई" मेरा उपनाम है. मैं मेरे उपनाम भोई को परिवर्तित कर उपनाम "ठाकुर" रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब से मुझे अशोक कुमार ठाकुर आत्मज श्री नूतन साय के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	नया नाम
अशोक कुमार भोई आत्मज-श्री नूतन साय निवासी-मकान नं. एच/3 पी. डब्ल्यू. डी. कालोनी जज बंगला के पीछे, सिविल लाईन रायपुर (छ. ग.)	अशोक कुमार ठाकुर आत्मज-श्री नूतन साय निवासी-मकान नं. एच/3 पी. डब्ल्यू. डी. कालोनी जज बंगला के पीछे, सिविल लाईन रायपुर (छ. ग.)

विविध

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दुर्ग (छ. ग.)

दुर्ग, दिनांक 28 फरवरी 2011

क्रमांक/संपंदु/परिसमापन/2010-11/276.—ए. सी. सी. जामुल वर्कर्स इम्प. को-आप. केन्टीन लिमि. जामुल पं. क्र. 2224 दिनांक 26-04-1982 विकासखण्ड दुर्ग, जिला दुर्ग, को छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत अध्यक्ष ए. सी. सी. जामुल वर्कर्स इम्प. को-आप. केन्टीन लिमि. जामुल पं. क्र. 2224 दिनांक 26-4-1982 का पत्र दिनांक 17 नव. 2010 द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त केन्टीन कार्य करना बन्द कर दी है, कोई सदस्य शेष नहीं रह गये हैं, कोई देनदारियां शेष नहीं रह गया है, तथा संस्था को परिसमापन में लाने के सहमति दी है, संस्था निष्क्रिय है एवं विधि अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

अतएव मैं, जॉन खलखो, सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) जिसकी शक्तियां मुझे छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/5/6/79-एक/पन्द्रह-त-दिनांक 27-8-1979 द्वारा प्रदत्त की गई है, का प्रयोग करते हुए उक्त समिति को परिसमापन में लाता हूं एवं छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री पी. के. पाण्डेय, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएं, दुर्ग को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 28-02-2011 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

दुर्ग, दिनांक 26 मार्च 2011

क्रमांक/संपंदु/परिसमापन/2010-11/400.—कार्यालयीन आदेश क्रमाक/संपंदु/परिसमापन/2011/18/दुर्ग, दिनांक 06-01-2011 के द्वारा ब्लास्ट फर्नेस्ट को-आपरेटिव्ह केन्टीन बी. एस. पी. भिलाई पं. क्र. 1805 के परिसमापक श्री नीरज खत्री सहकारिता विस्तार अधिकारी को परिसमापक नियुक्त किया गया था. उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री एम. के. पाल, सहकारिता विस्तार अधिकारी, दुर्ग को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

यह आदेश आज दिनांक 11-03-2011 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

दुर्ग, दिनांक 26 मार्च 2011

क्रमांक/संपंदु/परिसमापन/2010-11/401.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/संपंदु/परिसमापन/2011/17/दुर्ग, दिनांक 06-01-2011 के द्वारा एस. एम. एस. को-आपरेटिव्ह केन्टीन बी. एस. पी. भिलाई पं. क्र. 1782 के परिसमापक श्री नीरज खत्री सहकारिता विस्तार अधिकारी को परिसमापक नियुक्त किया गया था. उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री एम. के. पाल, सहकारिता विस्तार अधिकारी, दुर्ग को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

यह आदेश आज दिनांक 11-03-2011 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

जॉन खलखो,
सहायक पंजीयक.

कार्यालय, उप पंजीयक सहकारी समितियां, जगदलपुर, जिला बस्तर

जगदलपुर, दिनांक 11 जनवरी 2011

[छ. ग. सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के नियम 57 (2) अंतर्गत]

क्रमांक/उ. पं. ज./परिसमापन/2011/27.—जिला बस्तर के निम्नलिखित सहकारी समितियों को छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 (क्र. 17 सं. 1961) की धारा 69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अंतर्गत संबंधित समितियों का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतएव छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम के 1960 की धारा 71 तथा छ. ग. सहकारी अधिनियम 1960 के नियम 57 (ग) के अनुसार यह सूचना सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है कि निम्नलिखित समितियों के विरुद्ध जो भी लेनदारियां तथा ऋण लेना बकाया निकलते हों, वे प्रमाण सहित अपने दावें यदि कोई हो तो इस सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से दो माह की अवधि के भीतर मेरे कार्यालय में या संबंधित परिसमापक के पास कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें, उक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त दावों पर कोई भी उत्तरदायी मान्य नहीं होगी और संस्था की उपलब्ध लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्वों को उक्त कथित नियम के अंतर्गत परिसमापक को विधिवत् प्रस्तुत किया गया है ऐसा समझा जावेगा एवं जिन समितियों के रिकार्ड्स उपलब्ध नहीं हैं उनमें कुछ भी लेन देन नहीं है ऐसा समझा जायेगा.

नाम सहकारी समितयां जिसे परिसमापन में लाया गया है

अ. क्र.	समितियों का नाम	पंजीयन क्रमांक/ दिनांक	विकासखण्ड	परिसमापक का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	महिला प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्या., बोधघट जगदलपुर.	280/29-6-93	जगदलपुर	श्री राजेश आचार्य स. वि. अ.
2.	--,,-- मर्या., बालाजी वार्ड जगदलपुर	389/8-11-96	जगदलपुर	--,,--
3	जेल कल्याण कर्म. प्रा. उप. सह. भ. मर्या., जगदलपुर.	286/13-7-93	जगदलपुर	--,,--
4.	कबीर बुनकर सह. समि. मर्या., तोकापाल	7/5-2-79	तोकापाल	श्री एस. एल. कुजूर स. वि. अ.
5.	दण्डकारण्य मछुआ सहकारी समिति मर्या., जगदलपुर.	359/9-1-96	जगदलपुर	--,,--
6.	मत्स्य सहकारी समिति मर्या., उलनार	500/6-12-04	बकाण्ड	श्री सी. एस. नेताम स. वि. अ.
7.	आदि. मछुआ सहकारी समिति मर्या., उमरगांव.	62/28-3-88	कोण्डागांव	श्री ए. के. नामदेव स. वि. अ.
8.	महिला श्रमिक रत्न उद्योग सह. समि. मर्या., जगदलपुर.	374/29-8-96	जगदलपुर	श्री राजेश आचार्य स. वि. अ.
9.	महिला औद्योगिक सह. समि. मर्या., नयामुण्डा जगदलपुर.	37/8-8-96	--,,--	--,,--
10.	--,,-- महारानी वार्ड जगदलपुर	395/23-12-96	--,,--	--,,--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11.	महिला औद्योगिक सह. समि. मर्या., जवाहरनगर मेटगुडा.	433/28-7-99	जगदलपुर	श्री राजेश आचार्य स. वि. अ.
12.	रस्सी उद्योग सहकारी समिति मर्या., बकावण्ड.	156/28-11-89	बकावण्ड	श्री सी. एस. नेताम सं. वि. अ.
13.	बॉस कला चटाई उद्योग --,,-- दामागुडा	441/29-7-00	--,,--	--,,--
14.	आदि. हरि. खनिकर्म सह. समिति मर्या., सिरिसगुडा.	368/3-4-96	जगदलपुर	श्री के. एस. सोनवानी स. नि.
15.	प्राथ. मजदूर रेत खदान सह. समिति मर्या., खडकघाट.	394/13-12-96	--,,--	--,,--
16.	शिक्षा जागृति खनिज सह. समिति मर्या., तेतरधुटी (छापरभानपुरी).	424/12-10-98	--,,--	--,,--
17.	प्राथ. गिट्टी खदान सह. समिति मर्या., नवागुडा.	436/12-1-2000	--,,--	श्री रविभूषण राव स. नि.
18.	प्राथ. रेत खनिज सह. समिति नगरनार	463/28-3-02	--,,--	--,,--
19.	प्राथ. ज्वालामुखी हितग्राही खनिज सह. समिति नगरनार.	468/14-8-02	--,,--	--,,--
20.	प्राथ. मुरूम खदान सह. समिति नगरनार	469/19-8-02	--,,--	--,,--
21.	आदर्श गिट्टी रेत सह. समिति बालेंगा	294/9-12-94	बस्तर	श्री एम. एल. नन्दवार स. वि. अ.
22.	प्राथ. रेत खदान सह. समिति दुबेउमरगांव	403/3-4-97	--,,--	--,,--
23.	--,,-- इच्छापुर	404/3-4-97	--,,--	--,,--
24.	प्राथ. गिट्टी खदान --,,-- भोण्ड	414/13-8-97	--,,--	--,,--
25.	प्राथ. रेत खदान --,,-- चपका	420/7-3-98	--,,--	--,,--
26.	प्राथ. खनिज सह. समिति कोण्डागांव	428/23-10-97	कोण्डागांव	श्री ए. के. नामदेव स. वि. अ. कोण्डागांव.
27.	--,,-- संबलपुर	429/23-10-07	--,,--	--,,--
28.	खनिकर्म आदि. श्रमिक सह. समिति बुरूगंपाल	165/14-11-90	तोकापाल	श्री एस. एल. कुजूर स. वि. अ.
29.	आदि. खनिज श्रमिक सह. समिति मावलीभाठा	292/1-6-94	--,,--	--,,--
30.	आदि. खनिकर्म सह. समिति छोपरापारा	166/14-11-90	--,,--	--,,--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
31.	चूना पत्थर श्रमिक सह. समिति रायकोट	411/30-7-97	तोकापाल	श्री एस. एल. कुजूर स. वि. अ.
32.	आदि. प्राथ. मुरूम रेत खदान सह. समिति डेंगाआमा.	459/30-12-91	लोहडीगुडा	श्री राजेश आर्चाय स. वि. अ. लोहडीगुडा.
33.	आदि. हरि. प्राथ. स्टोन क्रेशर सह. समिति चित्रकूट.	256/30-12-91	--,,--	--,,--
34.	आदि. रेत खदान ट्रक सह. समि. मर्या., कोरपाल.	423/30-9-98	बकावण्ड	श्री सी. एस. नेताम स. वि. अ.
35.	फल एवं साग सब्जी उत्पादक एवं वितरक सह. समि. मर्या., भाटपाल.	476/28-3-03	बस्तर	प्रतिवेदन प्राप्त
36.	प्राथ. पारंपरिक आदि. हस्त शिल्प सह. समि. मर्या., अल्वाही.	465/10-5-02	बस्तर	प्रतिवेदन प्राप्त
37.	किसान मजदूर विद्युत सह. समि. मर्या., छापर भानपुरी.	425/2-12-98	जगदलपुर	श्री एस. एल. कुजूर स. वि. अ.
38.	किसान मजदूर संघर्श सह. समि. मर्या., छिन्दगांव.	398/13-1-97	बकावण्ड	श्री सी. एस. नेताम स. वि. अ.
39.	--,,-- मर्या., पारापुर	401/26-2-97	बकावण्ड	--,,--
40.	तृतीय वर्ग भा. कर्म. साख. सह. समिति मर्या., जगदलपुर.	460/21-3-2002	जगदलपुर	श्री रविभूपण राव स. नि.
41.	ग्रामीण बेरोजगार सह. समिति मर्या., परचनपाल.	494/12-8-2004	बस्तर	श्री एम. एल. नन्दवार स. वि. अ.
42.	आदि. ट्रक रफ्तार योजना स. मि. पासंगी	313/16-7-92	फरसगांव	श्री आर. एस. देवांगन स. वि. अ.
43.	सामूहिक कृषि सहकारी समिति जाटम	698/2-9-70	200/4-2-82	श्री रविभूपण राव स. नि.
44.	अनु. ज. लेबर कान्ट्रेक्ट धान कुटाई सह. समिति मर्या., जगदलपुर.	145/20-3-62	2160/28-10-83	--,,--
45.	खनि कर्मचारी औद्योगिक सह. समिति मर्या., जगदलपुर.	656/1772-71	41/8-1-88	--,,--
46.	बस्तर रत्न परिष्कार सहकारी समिति मर्या., जगदलपुर.	76/2776-87	1106/11-8-98	--,,--
47.	बस्तर उद्यमी परिवहन सहकारी समिति मर्या., जगदलपुर.	259/9-5-92	872/28-6-2002	--,,--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
48.	बस्तर आदिवासी परिवहन सह. समि. मर्या., जगदलपुर.	260/3-5-92	872/28-6-2002	श्री रविभूपण राव स. नि.
49.	आदि. रेत खदान ट्रक सह. समिति मर्या., मांढर.	168/6-2-91	1106/11-8-98	श्री राजेश आचार्य
50.	बुनकर सह. समिति मर्या., लोहडीगुडा	37/22-1-65	1106/11-8-96	श्री राजेश आचार्य
51.	मावली बुनकर सह. समिति मर्या., बदलावंड.	38/22-11-63	890/29-7-92	श्री सी. एस. नेताम
52.	हाथ धान कुठाई सह. समिति मर्या., कवडावंड.	339/30-6-64	1533/17-5-94	श्री सी. एस. नेताम स. वि. अ.
53.	बुनकर सह. समिति मर्या., बडे कनेरा	2/16-10-89	5336/31-8-95	श्री ए. के. नामदेव स. वि. अ.
54.	बुनकर सह. समिति मर्या.,आलोर	20/7-9-65	5336/31-8-95	श्री ए. के. नामदेव
55.	पत्रकार गृह निर्माण सह. समि. मर्या., जगदलपुर.	693/15-3-96	541/16-1-05	श्री रविभूपण राव स. नि.
56.	शा. गृह निर्माण सह. समि. मर्या., जगदलपुर.	676/8-2-79	541/16-1-05	श्री रविभूपण राव स. नि.
57.	दुग्ध उत्पादक सह. समिति मर्या., देउरगांव.	452/5-12-2001	649/30-7-08	श्री एस. एल. कुजूर स. वि. अ.

आगे यह भी प्रकाशित किया जाता है कि जिस व्यक्ति, समिति के सदस्य या भूतपूर्व पदाधिकारी या कर्मचारी के पास उक्त सहकारी समितियों से संबंधित कोई भी कागजात, सामान एवं रोकड़ हो तो वे प्रकाशन की तिथि से 15 (पन्द्रह) दिन के भीतर इस कार्यालय में जमा करें या लिखित में सूचना देवें अन्यथा निश्चित समय उपरांत यदि किसी व्यक्ति के पास उक्त समिति का कोई भी रिकार्ड्स या सामान आदि की जानकारी मिली या वैसा सिद्ध हुआ तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी जिसके लिए स्वयं की व्यक्तिगत रूप से जवाबदारी होगी.

यह सूचना आज दिनांक 11-01-11 को मेरे द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की गई.

एल. एल. वृन्झ,
उप पंजीयक.

कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 3 फरवरी 2011

क्र./क्यू./2011/परिसमापन/216.— छ. ग. सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के उपनियम 57 (5) के तहत् यह सूचित किया जाता है कि निम्नांकित समितियों के दावेदार/लेनदार अपने दावे मय लिखित प्रमाण 30 दिवस के भीतर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें..इस अवधि के पश्चात् होने वाले किसी भी दावे मान्य नहीं होगें तथा उपलब्ध अभिलेख एवं जानकारी के आधार पर परिसमापन की कार्यवाही की जावेगी.

यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास उक्त संस्थाओं का रिकार्ड/सम्पत्ति आदि हो तो तत्काल परिसमापक को सौंप देवे अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के भागीदार होंगे.

क्र.	परिसमापन समिति का नाम	पं. क्र.	दिनांक	परिसमापक	स्थान/ कार्यालय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	जय बजरंग रेत खनिज सहकारी समिति मर्यादित लगरा	3754		श्री ललित शर्मा, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक कार्यालय संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.).	कार्यालय संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.)
2.	किसान फलोद्यान एवं साग सब्जी उत्पादक विपणन बिलासपुर.	3502	20-04-1993		
3.	अम्बा मछुवा सहकारी समिति मर्यादित बिटकुली	3857	02-05-1997		
4.	छ. ग. महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित झलका.	229	13-02-2005		
5.	शक्ति मछुवा सहकारी समिति मर्यादित सेंवार	3953	13-7-2000		
6.	चंपा बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित कछार	219	14-4-2005		
7.	एकता मछुवा सहकारी समिति मर्यादित पेन्डरवा	225	08-09-2005		
8.	नवयुवक मछुवा सहकारी समिति मर्यादित अकलतरी	3550	20-10-1994		
9.	आदर्श खनिज सहकारी समिति मर्यादित अमेरी अंकबरी	3696	01-10-1996		
10.	साग सब्जी सहकारी समिति मर्यादित निरतु कछार	762	15-03-1959		
11.	नर्मदा सिंचाई सहकारी समिति मर्यादित मोढ़े	3941	25-07-1971		
12.	सिंचाई सहकारी समिति मर्यादित पण्डरिया	2960	10-03-1972		
13.	इंदिरा गांधी दोहन सहकारी समिति मर्यादित काठाकोनी	3005	28-03-1973		
14.	राधा कृष्ण सहकारी समिति मर्यादित खम्हरिया	3011	30-07-1973		
15.	रेत खदान सहकारी समिति मर्यादित लोखंडी	3833	21-01-1998		
16.	अनुसूचित जाति रेत खदान सहकारी समिति मर्यादित घुटकू	3858	07-05-1997		
17.	आदर्श गौड़ खनिज सहकारी समिति मर्यादित घुटकू	3864	24-05-1997		
18.	आदिवासी रेत खनिज सहकारी समिति मर्यादित लमेर	3874			
19.	प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार सहकारी समिति मर्यादित तखतपुर.	3380	25-02-1991		

ललित शर्मा,
सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

कार्यालय, परिसमापक, सहकारी संस्थाएं मर्यादित, कोटा (छ. ग.)

कोटा, दिनांक 28 जनवरी 2011

क्र./क्यू./2011/परिसमापन/215.— छ. ग. सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के उपनियम 57 (5) के तहत् यह सूचित किया जाता है कि निम्नांकित समितियों के दावेदार/लेनदार अपने दावे मय लिखित प्रमाण 30 दिवस के भीतर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. इस अवधि के पश्चात् होने वाले किसी भी दावे मान्य नहीं होगें तथा उपलब्ध अभिलेख एवं जानकारी के आधार पर परिसमापन की कार्यवाही की जावेगी.

यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास उक्त संस्थाओं का रिकार्ड/सम्पत्ति आदि हो तो तत्काल परिसमापक को सौंप देवें अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के भागीदार होगे.

क्र.	परिसमापन समिति का नाम	पं. क्र.	दिनांक	परिसमापक	स्थान/ कार्यालय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, नवागांव	2787	27-03-1983	श्री जी. पी. बिन्द, सहकारिता विस्तार अधिकारी, कोटा	जनपद पंचायत कोटा/संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर (छ. ग.)
2.	वनश्रमिक सहकारी समिति मर्यादित, झिंगरपुर	2688	07-03-1963		
3.	लालबहादुर सहकारी समिति मर्यादित, खोगसरा	2826	29-03-1976		
4.	अरपा रेत खदान सहकारी समिति मर्यादित, सिलदहा	3740	06-09-1996		
5.	अरपा रेत खदान सहकारी समिति मर्यादित, मंगला	3809	04-10-1996		
6.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, नवागांव	180	24-04-2004		
7.	मजदूर विकास पत्थर खदान सहकारी समिति मर्यादित, धरमपुरा.	3936	25-05-1995		
8.	कृति आदिवासी काष्ठकला सहकारी समिति मर्यादित, सेमरिया.	9819	04-06-1998		
9.	महामाया आदिवासी काष्ठकला सहकारी समिति मर्यादित, जूना शहर.	3818	04-06-1998		
10.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, घोघाडीह	3171			
11.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित लारीपारा	3722	18-04-1986		
12.	खपरा निर्माण सहकारी समिति मर्यादित कोटा	3538	23-07-1994		
13.	लोकबंद हरि मछुवा सहकारी समिति मर्यादित लोकबंद	3496	19-01-1996		
14.	आदि. खारंग जलाशय मछुवा सहकारी समिति मर्यादित मेलनाडीह.	3674	26-06-1995		
15.	जगदम्बा साख सहकारी समिति मर्यादित रतनपुर	197	04-02-2005		
16.	जय बजरंग आदिवासी मछुवा सहकारी समिति मर्यादित चंगोरी.	3158 3880	27-01-1986 25-02-1991		
17.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, चपोरा	179	24-11-2004		
18.	कोटेश्वर महादेव साख सहकारी समिति मर्यादित, कोटा	171	04-10-2004		
19.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, खैरा	172	06-10-2004		
20.	लक्ष्मी महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, मोहदा.	175	06-10-2004		

जी. पी. बिन्द,
परिसमापक/स. वि. अ.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2011.